रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1975/श्रावण 3, 1897

No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1975/SRAVANA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th July 1975

S.O. 379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the National Highway No. 2 connecting Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Allahabad, Banaras, Mohania, Barhi and Calcutta specified against Serial No. 3 in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[No. PL-10(115)/70-I].

सौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

सा० आ० 379 (अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी, मोहनिया, बरही और कलकत्ता को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं० 3 के सामने विनिर्दिष्ट है, को उस अनुसूची से हटाती है ।

[सं० पी० एल०—10(115)/70-I]

S.O. 380 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in Column (3) of the Table below to be a national highway.

The said highway now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956 with the Serial No. and National Highway No. indicated in column (1) and (2) respectively of the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of national highways
3	2	The highway connecting Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Allahabad, Banaras, Mohania, Barhi, Palsit, Baidyabati, Bara, Calcutta.

[No. PL-10 (115)/70-II]

J. S. MARYA,
Director General (Road Development) and Addl. Secy.

सा०आ० 380(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्ग, जो अब राष्ट्र य राजमार्ग घोषित किया गया है, को उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (1) तथा (2) में दर्शित क्रम संख्या तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट माना जायेगा ।

सारणी

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
3	2	दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बरही, पालसित, बैद्यावटी, बारा, कलकत्ता को मिलाने वाला राजमार्ग ।

[संख्या पी० एल०-10(115)/70-II]

जगदेव सिंह मड़िया,
महा निदेशक (सड़क विकास) तथा
अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975